डीजी परिपत्र सं0- 48 /2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ- 226002
दिनांक: दिसम्बर 20,2024

विषय: फेक न्यूज और साइबर अपराध के खिलाफ उ0प्र0 पुलिस के अभियान में 'डिजिटल वॉरियर' के रूप में युवाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भागीदारी

प्रिय महोदया/महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि फेक न्यूज़ और साइबर अपराध आज के डिजिटल युग में समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। फेक न्यूज़ समाज में गंभीर खतरों को जन्म देती है, जिससे पुलिस और प्रशासन के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। झूठी खबरें सामाजिक अशांति, धार्मिक एवं सांप्रदायिक तनाव का कारण बन सकती हैं, जिससे अराजकता और हिंसा फैलती है। वहीं, साइबर अपराध की घटनाएं लोगों की गोपनीयता, वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति को प्रभावित कर रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक जागरूकता अभियान की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में एक अभिनव पहल करते हुए व्हाट्सअप पर सक्रिय समाज के विभिन्न हितधारकों को डिजिटल वालंटियर्स के रूप में जोड़ा गया था, जिसके लाभदायक परिणाम प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2023 में उ0प्र0 पुलिस के समस्त पुलिसकर्मियों को जोड़कर **"व्हाट्सएप कम्यूनिटी ग्रुप"** भी बनाए गए है, जिनकी सहायता से भ्रामक खबरों का खण्डन एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा वर्ग को भी यूपी पुलिस के साथ जोड़ा जाए।

साइबर पेट्रोलिंग एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से हाल ही में प्रयागराज कमिश्नरेट में महाकुंभ-2025 की तैयारी के अंतर्गत सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स एवं कॉलेज के छात्रों के साथ पार्टनरशिप का एक सफल प्रयोग किया जा रहा है। उक्त पायलट प्रयोग की सफलता के दृष्टिगत इस योजना को और व्यापक स्वरूप देते हुए पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

इस पहल के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और स्कूल / कॉलेज के छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जो **उत्तर प्रदेश पुलिस के "डिजिटल वॉरियर"** कहलायेंगे । इन डिजिटल वॉरियर को फेक न्यूज़ एवं साइबर अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद ये युवा समाज में जागरूकता फैलाने, परिवार के सदस्यों और साथियों को शिक्षित करने और **'डिजिटल जिम्मेदारी'** की संस्कृति को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे।

यह उम्र उनके विचारों और सोच को सही दिशा में विकसित करने का सबसे उचित समय होता है। यदि इन्हें फेक न्यूज़ एवं साइबर क्राइम की पहचान करने और इसके दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया

जाए, तो ये न केवल स्वयं को इसके झासे में आने से बचा सकते है, बल्कि अपने माता-पिता, सहपाठियों और पड़ोसियों को भी इसके खतरों के प्रति जागरूक कर सकते हैं।

'उत्तर प्रदेश पुलिस के डिजिटल वॉरियर' के रूप में **सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स एवं स्कूल कॉलेज/ विश्वविद्यालय के छात्रों का यह नेटवर्क** जनता को जागरूक और सुरक्षित डिजिटल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयासों को सशक्त करेगा। इस नेटवर्क के सक्रिय सहयोग से पुलिस के सराहनीय कार्यों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाकर पुलिस की छवि में भी सुधार किया जा सकता है।

I- डिजिटल वॉरियर का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन

उत्तर प्रदेश पुलिस के **डिजिटल वॉरियर** के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर एवं छात्रों और युवाओं का कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इस हेतु सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय प्रबन्धन से आग्रह करके **'साइबर क्लब'** भी स्थापित करवाये जायें एवं एक शिक्षक को इसका नोडल अधिकारी नामित करवाया जाए ताकि छात्रों को इस विषय में नियमित भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा सके और साइबर स्पेस में आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की दिशा में मार्गदर्शन मिल सके।

साइबर क्लब की गतिविधियों में कार्यशालाएं, सेमिनार, संवादात्मक सत्र और रचनात्मक सत्र जैसे पोस्टर बनाना, स्लोगन लिखना, लघु कहानियां लिखना, सोशल मीडिया हेतु क्रिएटिव एवं वीडियो कंटेंट बनाना आदि शामिल हो सकते हैं। इस सन्दर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी दिनांक 12.09.2022 को पत्र संख्या- 25324/MS/GI/2022 के माध्यम से निर्देश दिए गए है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाए। इस योजना को सफल बनाने के लिए जनपदीय पुलिस, UP112, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, UPSIFS, साइबर क्राइम मुख्यालय इत्यादि इकाइयां स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए प्रतिमाह कार्यशालाओं का आयोजन करेंगी। यह योजना लगातार जारी रहेगी एवं प्रत्येक 03 माह के उपरान्त इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जाएगी एवं सराहनीय कार्य करने वाले जनपदों को प्रोत्साहित/पुरस्कृत किया जाएगा।

कार्यशालाओं का उद्देश्य:

1. **डिजिटल वॉरियर्स** की आलोचनात्मक सोच को विकसित करना, जिससे वह किसी भी जानकारी का विश्लेषण और सत्यापन करके फेक न्यूज़ एवं साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकें।

2. छात्रों एवं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को उनके सामाजिक दायरे में जागरूकता फैलाने के लिए **डिजिटल वॉरियर** के रूप में तैयार करना।

कार्यशालाओं से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश:

1. **साइबर क्राइम विशेषज्ञों/फैक्ट चेकर्स की भागीदारी:** कार्यशालाओं में साइबर क्राइम विशेषज्ञों/ फैक्ट चेकर्स और जिला साइबर थाना एवं साइबर सेल को शामिल किया जाएगा जो तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव साझा करेंगे। जिन जिलों में स्थानीय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं, वे महानगरों से

विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते है या कार्यशालाओं को उन जिलों में वेबिनार मोड में भी आयोजित किया जा सकता है।

2. **स्थान और प्रतिभागी:** कार्यशालाएं विश्वविद्यालयों/डिग्री कॉलेजों, स्कूलों अथवा पुलिस लाइन्स में आयोजित की जा सकती हैं। हर विश्वविद्यालय/डिग्री कॉलेज, स्कूल में कुछ छात्रों और शिक्षकों को **'मास्टर ट्रेनर'** के रूप में तैयार किया जाएगा जो वहां के अन्य बच्चों को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। इन कार्यशालाओं मे इंफ्लुएंसर्स को भी शामिल किया जाएगा। कुछ कार्यशालाओं में राजपत्रित अधिकारियों के भाग लेने से इस जागरूकता अभियान का महत्व बढ़ेगा और हमें अपेक्षित परिणाम शीघ्र मिलेंगे।

3. **कार्यशाला की विषयवस्तु:** कार्यशालाओं में फेक न्यूज़ एवं साइबर क्राइम की पहचान, इसके प्रभाव और तथ्य, जांच के तरीकों से सम्बन्धित सत्र शामिल किए जाएंगे। साथ ही, सत्रों को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए वास्तविक उदाहरणों और इंटरैक्टिव तरीकों का उपयोग किया जायेगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साइबर जागरूकता हेतु Cyber Dost नाम से संचालित किए जा रहे X (ट्विटर), फेसबुक एवं इंस्टाग्राम अकाउंट एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के अकाउंट @UPPolice को फॉलो करवाते हुए इन सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए जाने वाले साइबर जागरूकता सम्बन्धी वीडियो को डाउनलोड करके इन कार्यशालाओं में दिखाया जाए। जनपदीय पुलिस अधिकारी द्वारा जिला मनोरंजन कर अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय करके इन जागरूकता सम्बन्धी वीडियो को स्थानीय सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स में भी चलवाया जाए।

4. **रिपोर्टिंग:** प्रत्येक कमिश्नरेट/ जनपद द्वारा एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें कार्यशालाओं की संख्या, शामिल स्कूल एवं विश्वविद्यालयों/डिग्री कॉलेजों, प्रशिक्षित छात्रों एवं इंफ्लुएंसर्स की संख्या और सामुदायिक आउटरीच का विवरण **संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार तैयार कराया जायेगा।**

5. **मीडिया सहभागिता:** स्थानीय मीडिया को कार्यशालाओं के कवरेज के लिए आमंत्रित किया जायेगा एवं सोशल मीडिया पर भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि इस पहल को व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सके।

II- डिजिटल वॉरियर के अपेक्षित कर्तव्य:

1. फेक न्यूज़ का खंडन एवं साइबर अपराध के प्रति सचेत करना: मुख्यालय/ कमिश्नरेट/ जनपद स्तर पर फेक न्यूज अथवा साइबर अपराध की जानकारी होने पर डिजिटल वॉरियर की सहायता से अफवाहों/ भ्रामक खबरों का त्वरित रूप से खंडन एवं सम्बन्धित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी पोस्ट को रिपोर्ट करने की कार्यवाही की जाए। डिजिटल वॉरियर द्वारा साइबर अपराध के प्रति आमजन को सचेत करते हुए सही जानकारी भी जनमानस तक पहुँचाई जाएगी।

2. फेक न्यूज़ एवं साइबर अपराध की सूचना : उ0प्र0 पुलिस के **'डिजिटल वॉरियर'** के रूप मे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स एवं कॉलेज के छात्रों द्वारा उ0प्र0 पुलिस/कानून व्यवस्था एवं अपराध से संबंधित किसी भी फर्जी खबर की सूचना अथवा इनके सत्यापन हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस के फैक्ट-चेकिंग X

(ट्विटर) अकाउंट- @UPPViralCheck, इंस्टाग्राम अकाउंट- @UPPFactCheck एवम् फेसबुक अकाउंट- @UPPFactCheck को टैग करके दी जा सकती है। किसी भी साइबर अपराध की सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस के X (ट्विटर), फेसबुक एवं इंस्टाग्राम अकाउंट- @UPPolice तथा सम्बन्धित जनपद के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर टैग करके साझा की जा सकती है। यदि सूचना संवेदनशील या गोपनीय हो, तो उसे उपरोक्त सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डायरेक्ट मैसेज (DM) के माध्यम से भेजी जा सकती है।

3. साइबर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण देना: तकनीकी योग्यता एवं अनुभव रखने वाले डिजिटल वॉरियर को साइबर ट्रेनर के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। इनके द्वारा कार्यशालाओं मे छात्रों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

4. उ0प्र0 पुलिस के अभियानों व सराहनीय कार्यों का व्यापक प्रसार: उ0प्र0 पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियानों जैसे महिला सुरक्षा, यातायात नियमों/साइबर अपराध के प्रति जागरूकता, नये कानूनी प्रावधानों के प्रचार-प्रसार आदि को डिजिटल वॉरियर की सहायता से और व्यापकता प्रदान की जा सकती है। पुलिसिंग के अतिरिक्त अनेक पुलिस कर्मियों द्वारा कर्तव्य से परे हटकर सामुदायिक पुलिसिंग, गरीबों की सेवा एवं सामाजिक दृष्टि से किए जाने वाले सराहनीय कार्यों को भी प्रभावशाली ढंग से प्रसारित किया जा सकता है, जिससे पुलिस की विश्वसनीयता, स्वीकार्यता एवं पुलिस की छवि को और बेहतर किया जा सकता है।

III- डिजिटल वॉरियर बनाए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश:

1. डिजिटल वॉरियर का चयन करना :

सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्न प्रोफ़ार्मा के अनुसार सूची तैयार करें। इसमें केवल ऐसे व्यक्ति शामिल किए जाएं, जिनकी छवि स्वच्छ हो और जो विवादास्पद या नकारात्मक गतिविधियों में शामिल न हों। इस कार्य मे इच्छुक उत्तर प्रदेश के बाहर के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को भी सम्मिलित किया जा सकता है, ऐसे समस्त डिजिटल वॉरियर को परिपत्र मे संलग्न फ़ॉर्म को भरकर देना होगा, जिसका गूगल लिंक भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. स्वैच्छिक सहयोग और उपक्रम (अंडरटेकिंग):

डिजिटल वॉरियर को चयनित करने से पूर्व उनसे संलग्न फॉर्म के माध्यम से लिखित उपक्रम लिया जाएगा, जिसमें वे यह आश्वस्त करेंगे कि वह पुलिस का सहयोग कर फेक न्यूज़ का खंडन करेंगे, किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ का प्रसार नहीं करेंगे, किसी भी साइबर अपराध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होंगे, किसी विवादास्पद सामग्री को पोस्ट नहीं करेंगे और भारतीय कानून के अधीन रहकर कार्य करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनका सहयोग स्वैच्छिक होगा और उनकी सहमति के आधार पर होगा। यह सभी कार्य पूर्णतया अवैतनिक होगें।

3. डिजिटल वॉरियर के कार्यों का मासिक विवरण: डिजिटल वॉरियर द्वारा चिन्हित की गई फेक न्यूज, पुलिस के सराहनीय कार्यों व योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं पुलिस द्वारा किए गए खण्डन के व्यापक

प्रसार का मासिक विवरण संबंधित जनपद को उपलब्ध कराया जाएगा, डिजिटल वॉरियर द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर जनपदीय मीडिया सेल द्वारा एक समर्पित डेटाबेस तैयार किया जाएगा।

4. नोडल अधिकारी की नियुक्ति: प्रत्येक जनपद में एसपी अपराध/नोडल एसपी क्राइम/डीसीपी क्राइम/एडीसीपी क्राइम को इस कार्य एवं सोशल मीडिया अभियानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, साथ ही इस क्षेत्र में रुचि और विशेषज्ञता रखने वाले युवा अधिकारियों को इस अभियान से जोड़ा जाए ताकि इसकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।

5. डिजिटल वॉरियर द्वारा दायित्वों का पालन: कार्य में रुचि न रखने वाले, अपने दायित्वों का दुरुपयोग करने अथवा स्वयं घोषणा पत्र मे उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करने वाले डिजिटल वॉरियर से उ0प्र0 पुलिस किसी प्रकार का कार्य नहीं लेगी।

6. **डिजिटल वॉरियर का प्रोत्साहन:** डिजिटल वॉरियर द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर प्रतिबद्धता से कार्य करने वाले डिजिटल वॉरियर के गुणवत्तापूर्ण सोशल मीडिया कंटेन्ट को जनपदीय सरकारी सोशल मीडिया पर प्रयोग करने के साथ-साथ उनको प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटों इत्यादि देकर प्रोत्साहित/पुरस्कृत किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इस दिशा मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले डिजिटल वॉरियर को समीक्षोपरांत प्रोत्साहित/पुरस्कृत किया जाएगा।

यह उल्लिखित करना आवश्यक है कि फेक न्यूज एवं साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता अभियान हेतु आयोजित कार्यशालाओं में स्कूल के छात्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा परन्तु 'डिजिटल वॉरियर' के रूप मे सिर्फ कॉलेज/ विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का चयन किया जाएगा।

जनपद स्तर पर मीडिया सेल द्वारा **'डिजिटल वॉरियर'** का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमे मुख्यालय की सोशल मीडिया के मोबाइल नम्बर- 7839858927 को जोड़कर इसे भी ग्रुप एडमिन बनाया जाएगा। डिजिटल वॉरियर से ऑनलाइन गूगल फार्म भरवाने के साथ-साथ फार्म की संलग्न हार्ड कापी भरवा कर उनके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जनपदीय मीडिया सेल द्वारा सुरक्षित रखी जायेगी। उ0प्र0 पुलिस के **'डिजिटल वॉरियर'** फेक न्यूज़ के प्रसार एवं साइबर क्राइम के खिलाफ एक मजबूत दीवार के रूप में कार्य करेंगे। इस पहल की सफलता आप सभी के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है।

भवदीय

(प्रशान्त कुमार)

समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष /
पुलिस विभाग,
उत्तर प्रदेश।

डिजिटल वॉरियर द्वारा भरे जाने वाले फार्म का प्रारूप

1. नाम :- .....

2. पिता का नाम :- .....

3. जन्मतिथि :- .....

4. शैक्षिक योग्यता :-.....

5. पता :- .....

5A. पिन कोड :-.....

5B. जनपद/शहर व राज्य :-.....

6. मोबाइल नंबर :-.....

7. आधार नंबर :-.....

8. ई-मेल आई. डी. :-.....

9. व्यवसाय :-.....

10. श्रेणी:- ✓ टिक लगाकर चयन करें कि किस रूप मे उ0प्र0 पुलिस से जुड़ना चाहते है:-

A- फेक न्यूज/साइबर क्राइम सचेतक B- जागरूकता एवं सराहनीय कार्यों के प्रसार सम्बन्धी सहयोग/सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स C- साइबर ट्रेनर ।

11. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विवरण -

11A- एक्स (ट्विटर) यूजर नेम व फॉलोवर्स की कुल सं. :- .....

11B- इंस्टाग्राम यूजर नेम व फॉलोवर्स की कुल सं. :- .....

11C- फेसबुक यूजर नेम व फॉलोवर्स की कुल सं. :- .....

11D- यू-ट्यूब चैनल का नाम व फॉलोवर्स की कुल सं. :-.....

11E- अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूजर नेम व फॉलोवर्स की कुल सं. :-.....

12- सोशल मीडिया एवं साइबर क्राइम के क्षेत्र मे कोई विशेष उपलब्धि :-.....

Note :- डिजिटल वॉरियर द्वारा बिन्दु संख्या 10 में उल्लिखित श्रेणियों की एक से अधिक श्रेणी का भी चयन किया जा सकता है। उपरोक्त सभी बिंदुओं के विषय में विवरण देना आवश्यक है। अपूर्ण विवरण देने पर आवेदन स्वत: निरस्त हो जाएगा।

डिजिटल वॉरियर स्वयं घोषणा पत्र

मैं निम्नलिखित घोषणाएँ करता/करती हूँ और यह सुनिश्चित करता/करती हूँ कि मैं इन सभी बिंदुओं का पालन करूंगा/करूंगी:

1. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक एवं आपत्तिजनक वीडियो, चित्र, ग्राफिक, संदेश या सामग्री को पोस्ट, अपलोड या साझा नहीं करूंगा/करूंगी साथ ही भारतीय कानून के अधीन रहकर कार्य करूंगा/करूंगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का लंबित आपराधिक मामला नहीं है, और न ही मैं किसी भी अपराध में दोषी ठहराया गया/गई हूँ।
3. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पुलिस विभाग के लोगो, मोनोग्राम अथवा उसके नाम का इस्तेमाल नहीं करूंगा/करूंगी।
4. मैं यह भी सुनिश्चित करता/करती हूँ कि मैं पुलिस विभाग या प्रशासन के साथ स्वेच्छा से जुड़कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक और सत्यापित जानकारी का ही प्रसार करूंगा/ करूंगी तथा फेक न्यूज़ या अफवाहों के खंडन एवं साइबर क्राइम के प्रति चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान में सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी।
5. मैं यह भी सुनिश्चित करता/करती हूँ कि मैं इस स्वैच्छिक कार्य हेतु किसी प्रकारके पारिश्रमिक की मांग नहीं करूंगा/करूंगी और न ही इस कार्य का उपयोग किसी आर्थिक लाभ हेतु करूंगा/करूंगी।

नाम:-

दिनांक:- **हस्ताक्षर**

स्थान:-

जनपद द्वारा आयोजित कार्यशाला से संबंधित मासिक रिपोर्ट का प्रोफार्मा

कं0सं0	जोन	जनपद	कार्यशाला की संख्या	कार्यशाला में शामिल स्कूल/ विश्वविद्यालयों/ डिग्री कॉलेजों की कुल संख्या	कार्यशाला में प्रशिक्षित छात्रों की कुल संख्या	कार्यशाला में प्रशिक्षित इंफ्लुएंसर्स की कुल संख्या	कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी का पदनाम	साइबर क्लब के नोडल शिक्षक का नाम एवं मोबाइल नंबर
1	2	3	4	5	6	7	8	9